



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

कक्षा 09 एवं 11 (सत्र 2018-20) के प्रवेश पत्र/अंक पत्रक में हुए त्रुटि के संशोधन के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या - 51/2019

एतद् द्वारा कक्षा 09 एवं 11 की परीक्षा, 2019 (सत्र 2018-20) में सम्मिलित/पंजीकृत छात्र/छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय/+2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाध्यापकों/प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि परिषद् द्वारा ऑनलाइन निर्गत प्रवेश पत्र/अंक पत्रक में त्रुटि संशोधन के लिए एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। उक्त त्रुटि संबंधी संशोधन हेतु अनुरोध विद्यालय/महाविद्यालय के माध्यम से दिनांक 15.07.2019 से 20.07.2019 तक निम्नलिखित साक्ष्य के आधार पर शुल्क रहित स्वीकार किया जाएगा।

कक्षा 09 के छात्र/छात्राओं के लिए

- (1) नामांकन पंजी की अभिप्रमाणित छायाप्रति (नियमित छात्र/छात्राओं के लिए)
- (2) विद्यालय में जमा किए गए शपथ पत्र की छायाप्रति (स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए)
- (3) फोटो संशोधन के लिए विद्यालय प्रधान प्रवेश पत्र में संशोधन कर प्रमाणित करेंगे।
- (4) विषय संबंधी संशोधन के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रवेश पत्र में उक्त संशोधन परीक्षा पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से करा लिया गया हो एवं छात्र उसी विषय की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों।

कक्षा 11 के छात्र/छात्राओं के लिए

- (1) माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र/अंकपत्र/पंजीयन रसीद की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (2) फोटो संशोधन के लिए महाविद्यालय प्रधान प्रवेश पत्र में संशोधन कर प्रमाणित करेंगे।
- (3) विषय संबंधी संशोधन के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रवेश पत्र में उक्त संशोधन परीक्षा पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से करा लिया गया हो एवं छात्र उसी विषय की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों।

ध्यातव्य हो कि प्रवेश पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान दिनांक 08.07.2019 से 15.07.2019 तक परिषद् के वेबसाइट से डाउनलोड कर छात्र/छात्राओं को हस्तगत करा सकेंगे।

संशोधन के लिए आवेदन करने संबंधी शर्तें

- छात्र/छात्राएँ साक्ष्य सहित आवेदन विद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेंगे।
- विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान छात्र/छात्रा के प्रवेश पत्र में साक्ष्य के आधार पर संबंधित संशोधन (विषय को छोड़कर) कर अभिप्रमाणित करेंगे।
- विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान वेबसाइट पर उपलब्ध Format A एवं Format B डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में किए गए संशोधन की समेकित विवरणी तैयार करेंगे।
- संशोधन के लिए विद्यालय/महाविद्यालय को अनुरोध पत्र के साथ समेकित विवरणी (Format A/Format B) तथा संशोधित एवं अभिप्रमाणित प्रवेश पत्र साक्ष्य सहित परिषद् कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।

नोट:- इस निर्धारित अवधि के पश्चात् त्रुटि सुधार हेतु संशोधन शुल्क देय होगा।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./- (महीप कुमार सिंह)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मा.गो./5382/10/SECY/349/19

Dt. 02.07.2019

D.O.P. 03.07.2019